भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या5123
जिसका उत्तर 02अप्रैल, 2025 को दिया जाना है ।
12चैत्र, 1947 (शक)

डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण अधिनियम, 2023 का कार्यान्वयन

5123.सुश्रीएस. जोतिमणि :

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के कार्यान्वयन की स्थिति क्या है;

(ख) सरकार डिजिटल प्लेटफार्मों में आंकड़ों की गोपनीयता और सुरक्षा संबंधी चिंताओं का समाधान किस प्रकार कर रही है;

(ग) साइबर अपराध, ऑनलाइन धोखाधड़ी और रैंसमवेयर हमलों से निपटने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(घ) सरकारी आंकड़ों और महत्वपूर्ण अवसंरचना की सुरक्षा किस प्रकार सुनिश्चित की जा रही है; और

(ड.) आंकड़ों को लीक होने से रोकने और नागरिकों की निजी सूचना की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क)से (ड़): डिजिटल वैयक्तिक डाटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (डीपीडीपी अधिनियम) 11 अगस्त 2023 को अधिनियमित किया गया है। मंत्रालय ने सार्वजनिक परामर्श के लिए डिजिटल वैयक्तिकडाटा संरक्षण नियम, 2025 (नियम) का मसौदा अधिसूचित किया है, जिसका उद्देश्य डीपीडीपी अधिनियम को लागू करना है। कानून बनाने के प्रति समावेशी दृष्टिकोण की सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप हितधारकों सहित जनता से प्रतिक्रिया और टिप्पणियां आमंत्रित की गई हैं।

डीपीडीपी अधिनियम डिजिटल वैयक्तिकडाटा के प्रसंस्करण के लिए इस तरह से प्रावधान करता है जो व्यक्ति के अपने वैयक्तिकडाटा की सुरक्षा के अधिकार और वैध उद्देश्यों के लिए ऐसे वैयक्तिकडाटा को संसाधित करने की आवश्यकता दोनों को मान्यता देता है।

भारत सरकार ने डिजिटल वैयक्तिकडाटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है। सरकार ने महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे सहित डाटा प्लेटफ़ॉर्म की साइबर सुरक्षा और डाटा गोपनीयता में सुधार के लिए कई प्रतिउपाय किए हैं। इनमें निम्नलिखित को शामिल किया गया है:-

i. राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (एनएससीएस) के अंतर्गत राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक (एनसीएससी) विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय सुनिश्चित करता है।
ii. सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2000 की धारा 70ख के प्रावधानों के तहत, भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (सर्ट-इन) को साइबर सुरक्षा घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने के लिए राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।

iii. सर्ट-इन द्वारा क्रियान्वित राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र (एनसीसीसी) साइबर सुरक्षा खतरों का पता लगाता है। एनसीसीसी साइबर सुरक्षा खतरों को कम करने के लिए कार्रवाई करने हेतु साइबरस्पेस से मेटाडाटा साझा करके विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय की सुविधा प्रदान करता है।

iv. साइबर स्वच्छता केंद्र (सीएसके) सर्ट-इन द्वारा प्रदान की जाने वाली एक नागरिक-केंद्रित सेवा है, जो स्वच्छ भारत के दृष्टिकोण को साइबर स्पेस तक विस्तारित करती है। साइबर स्वच्छता केंद्र बॉटनेट क्लीनिंग और मैलवेयर विश्लेषण केंद्र है और दुर्भावनापूर्ण कार्यक्रमों का पता लगाने में मदद करता है और उन्हें हटाने के लिए निःशुल्क उपकरण प्रदान करता है। यह नागरिकों और संगठनों के लिए साइबर सुरक्षा युक्तियाँ और श्रेष्ठ पद्धतियां भी प्रदान करता है।

v. गृह मंत्रालय (एमएचए) ने समन्वित और प्रभावी तरीके से साइबर अपराधों से निपटने के लिए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) बनाया है ।

vi. आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 70क के प्रावधानों के तहत, सरकार ने देश में महत्वपूर्ण सूचना बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना बुनियादी ढांचा संरक्षण केंद्र (एनसीआईआईपीसी) की स्थापना की है।

vii. आईटी अधिनियम के तहत सूचना प्रौद्योगिकी (यथोचित सुरक्षा पद्धतियाँ और प्रक्रियाएं तथा संवेदनशील वैयक्तिकडाटा या सूचना) नियम, 2011 उपयोगकर्ताओं के संवेदनशील वैयक्तिकडाटा की सुरक्षा के लिए यथोचित सुरक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है।

viii. क्षमता निर्माण और जागरूकता सरकार की आईटी सुरक्षा रणनीति के अभिन्न अंग हैं। अधिकारियों और पेशेवरों के बीच आईटी सुरक्षा कौशल विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। नागरिकों को ऑनलाइन सुरक्षा, सुरक्षित ऑनलाइन लेनदेन और डिजिटल सेवाओं के बारे में शिक्षित करने के लिए साइबर सुरक्षा जागरूकता माह और सुरक्षित इंटरनेट दिवस जैसे जन जागरूकता अभियान आयोजित किए जाते हैं।

ix. उभरते खतरों, शमन रणनीतियों और डाटा की सुरक्षा के लिए श्रेष्ठ पद्धतियों पर साइबर सुरक्षा संबंधी परामर्शी निदेश नियमित रूप से जारी किए जाते है। साइबर स्वच्छता केंद्र (बॉटनेट क्लीनिंग और मैलवेयर विश्लेषण केंद्र) और राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र (एनसीसीसी) जैसी पहल दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों का पता लगाने और उन्हें कम करने, स्थितिजन्य जागरूकता को सक्षम करने और संभावित खतरों से सुरक्षा करने पर ध्यान केंद्रित करती हैं।

x. इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम डीपीडीपी अधिनियम का अधिनियमन है, जो डाटा संरक्षण के लिए कानूनी ढांचा स्थापित करता है और भारत में व्यापक सुरक्षा प्रतिउपायों को लागू करने के लिए डाटा फिड्युसरीज़ को अधिदेशित करता है। डीपीडीपी अधिनियम, डाटा संरक्षण बोर्ड की शिकायत निवारण प्रणाली और न्यायनिर्णयन प्रक्रिया की स्थापना करता है, जो कि प्रकृति में डिजिटल है, जिसमें जवाबदेही तंत्र का एक सुदृढ़ ढांचा है, ताकि डाटा संरक्षण बोर्ड, जो एक स्वतंत्र निर्णायक निकायहै, जो शिकायतों की जांच करने, पूछताछ करने और अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन न करने पर जुर्माना लगाने के लिए सशक्त है,के साथ डिजिटल वैयक्तिकडाटा के वैध प्रसंस्करण को सुनिश्चित किया जा सके।

****